

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर
पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या : 18/2024
निर्णय दिनांक : 21.02.2024

उनवान

विमला देवी पुत्री स्व. श्री रूपनारायण पत्नी श्री कैलाश चन्द कुमावत, जाति कुमावत, निवासी मकान नम्बर 109, आसिन्द नगर, रामद्वारा कॉलोनी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 2818 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3251 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3252 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3253 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3254 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3255 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3256 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3257 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3258 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4775 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4776 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4777 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल रकबा 2.6700 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 470 के खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.1400 में भोली पुत्री रूपनारायण का हिस्सा 1/80 भाग का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में दर्ज व अंकित है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीया के पिता के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2557 दिनांक 19.12.2023 तस्दीक किया गया जिसमें प्रार्थीया के घर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम दस्तावेजात् में विमला देवी पुत्री स्व. श्री रूपनारायण पत्नी श्री कैलाश चन्द कुमावत है, इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम भोली पुत्री रूपनारायण दर्ज किया है जो एक लिपिकीय त्रुटि है। भोली पुत्री रूपनारायण एवं विमला देवी पुत्री स्व. श्री रूपनारायण पत्नी श्री कैलाश चन्द कुमावत दोनों नाम की एक ही महिला है। प्रार्थीया के सम्पूर्ण दस्तावेजात् में विमला देवी पुत्री स्व. श्री रूपनारायण पत्नी श्री कैलाश चन्द कुमावत दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भोली पुत्री रूपनारायण दर्ज किया गया जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है जिससे प्रार्थीया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे प्रार्थीया दुरुस्त करवाना चाहती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)



ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 2818 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3251 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3252 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3253 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3254 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3255 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3256 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3257 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3258 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4775 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4776 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4777 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल रकबा 2.6700 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 470 के खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम भोली पुत्री रूपनारायण के स्थान पर विमला देवी पुत्री स्व. श्री रूपनारायण पत्नी श्री कैलाश चन्द कुमावत दुरुस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे तथा इसी प्रकार का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस एवं जवाब हेतु तहसील जारी किये गये। अप्रार्थी का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर इस आशय का जवाब पेश किया कि ग्राम सांगानेर के खाता संख्या 123 कुल किता 13 कुल रकबा 2.67 है व खाता संख्या 470 में खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.14 है 0 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी में भोली पुत्री रामनारायण हि. 1/80 जाति कुमावत सा.देह खातेदार के नाम एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सांगानेर के नामा. संख्या 2557 स्वीकृति दिनांक 19.12.2023 से विरासत से मुताबिक फर्द मौका एवं शपथ पत्र आवेदक के अनुसार भोली पुत्री रूपनारायण व अन्य वारिसान के नाम स्वीकृत हुआ। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के अपील डिक्री संख्या 973/2022 की फोटोप्रति पेश की गई उनवानी भोलाराम बनाम नौरती देवी वगै. में विमला उर्फ भोली देवी पुत्री रूपनारायण अंकन है एवं प्रस्तुत आधार संख्या 273524063231 में विमला देवी पत्नी कैलाश चन्द कुमावत नाम है। अतः रिपोर्ट श्रीमान को सादर पेश है।

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस प्रार्थीया अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 2818, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 4347, 4775, 4776, 4777 एवं हाल खाता संख्या 470 के खसरा नम्बर 2800 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम भोली पुत्री रूपनारायण के स्थान पर विमला देवी पुत्री स्व. श्री रूपनारायण पत्नी श्री कैलाश चन्द कुमावत दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने दस्तावेजात आधार कार्ड, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर की पत्रावली की प्रति, स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है, इन सभी

रूप-खण्ड अधिकारी
जयपुर विभाग

दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम विमला देवी पत्नी कैलाश चन्द पुत्री रूपनारायण दर्ज है और हाल जमाबन्दी में विरासत का नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थीया का नाम भोली पुत्री रूपनारायण दर्ज है। प्रार्थीया का स्वयं का कथन रहा है कि भोली पुत्री रूपनारायण एवं विमला देवी पुत्री रूपनारायण दोनों नाम की एक ही महिला है, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर की पत्रावली में प्रार्थीया का नाम विमला देवी उर्फ भोली पुत्री रूपनारायण अंकित है, इन तथ्यों की पुष्टि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 2818 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3251 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3252 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3253 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3254 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3255 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3256 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3257 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3258 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4347 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4775 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4776 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4777 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल रकबा 2.6700 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 470 के खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम भोली पुत्री रूपनारायण के स्थान पर विमला देवी उर्फ भोली पुत्री रूपनारायण पत्नी कैलाश चन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरुस्त किया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)

उप-अधीक्षक

उप-अधीक्षक

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),

जयपुर।